न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

दांडिक निगरानी सं० 31/2021 **संगणक पंजियन सं०** 31/2021

UPGZ010022412021

मकसूद--------------**प्रति**---------------शहनाज व अन्य

<u>22.07.2026</u>–

1. पत्रावली पेश हुई। वर्ष 2023 के पश्चात्त से कोई पत्रावली में उपस्थित नहीं आ रहा है तथा आज भी निगरानीकर्ता अनुपस्थित है। प्रश्नगत आपराधिक निगरानी विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 6, गाजियाबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकितः 08.01.2021 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से आवेदक का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया है।

2. आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष अंकित किया गया है कि स्वयं आवेदक द्वारा दीवानी वाद सं० 5/2017 योजित किया गया है और यह दीवानी वाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश के उल्लंघन को लेकर किया गया है तथा नायब तहसीलदार के न्यायालय में जिस मुकदमें का उल्लेख आवेदक द्वारा किया गया है, उसके संबंध में भी न्यायालय द्वारा निष्कर्ष अंकित किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के समस्त तथ्यों का विचारण करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः हस्तगत निगरानी निरस्त कियो जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः हस्तगत दांडिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकितः 08.01.2021 पुष्ट किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 22.07.2026

(डॉ० दिनेश चन्द्र शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3,
जनपद–गाजियाबाद।
J.O. Code–UP1529

Digitally signed by Dinesh Chandra
Shukla
Date: 2026.07.22 16:05:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court